न्यायालय– सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला– पाली (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती राजलक्ष्मी गेहलोत (R.A.S.)

राजस्व वि0 प्रकरण सं0–38 / 2019

निर्णय दिनांकः– 10.02.2020

प्रार्थी

गीता पत्नी डूंगरसिंह जाति–राजपूरोहित निवासी–मादा तहसील–देसूरी जिला–पाली

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

प्रार्थना पत्र अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–क की उपधारा (1)

उपस्थिति–

प्रार्थी श्रीमती गीता पत्नी डूंगरसिंह उपस्थित।

अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी उपस्थित।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

–: निर्णय :– **दिनांक– 10 / 02 / 2020**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम देसूरी के खसरा 3639 / 1024 रकबा 0.8000 हैक्टर लगान 4.00 रूपये, खसरा नम्बर 1024 / 1 रकबा .3200 हैक्टर भूमि गीता पत्नी डुगरसिंह जाति–राजपुरोहित दर्ज है। जिसमें आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 1022, 1025 राजकीय सिवायचक भूमि है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर– 1022, 1025 मे से होकर नया रास्ता हस्ब धारा– 251–ए अभिधृति अधिनियम अधिनियम के तहत कायम कराना चाहता है, जिसके अलावा प्रार्थी की खातेदारी की आराजी मे आने जाने का कोई रास्ता नही है। जिस हेतू प्रावधान अनुसार श्रीमान् के द्वारा निर्धारित मुआवजा अदा करने हेतू प्रार्थी तैयार है अतः मुझ प्रार्थी की खातेदारी जमीन मे आने जाने हेतू मौजा सादडी–1 के अप्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर– 1022, 1025 मे से होकर रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया। अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी से जॉच रिपोर्ट मय जवाब क्रमांक/राजस्व/2019/1322 दिनांक 26.12.2019 को प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 3639/1024 रकबा 0.8000 हैक्टर व खसरा नम्बर 1024/1 रकबा 0.3200 हैक्टर गीता पत्नी डुगरसिंह खातेदार है जिस पर खातेदार का कब्जा कास्त है उक्त खातेदार अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता पास में स्थित राजकीय सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 1022 व 1025 में से होकर आते जाते है। उक्त रास्ते सिवाय अन्य कोई रास्ता नही है। खसरा नम्बर 1022 कुल रकबा 2.3400 हैक्टर किस्म बारानी भूमि में से 240 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा कुल 960 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 1025 कुल रकबा 0.8900 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय भूमि में से 40 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा कुल 160 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होगीं। ग्राम देसूरी के बाजार दर 17,77,900 रूपये प्रति हैक्टर है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध्य साक्ष्य का एवं तहसीलदार, देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन कर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आने जाने का कोई रास्ता नही है जिससे तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा अपनी जांच रिर्पोट मे प्रस्तावित रास्ता मौजा सरहद ग्राम देसूरी के राजकीय सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 1022 व 1025 में से दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः

–: आदेश :–

प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए अभिधृति अधिनियम अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा सरहद ग्राम– ग्राम देसूरी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी के खसरा नम्बर 3639/1024 रकबा 0.8000 हैक्टर व खसरा नम्बर 1024/1 रकबा 0.3200 हैक्टर मे आने जाने हेतु मौजा ग्राम देसूरी मे स्थित राजकीय सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 1022 कुल रकबा 2.3400 हैक्टर किस्म बारानी भूमि में से 240 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा कुल 960 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 1025 कुल रकबा 0.8900 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय भूमि में से 40

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमशः (3) राजस्व विविध मु0सं0– 38/2019 प्रार्थी – गीता बनाम अप्रार्थीगण – राज्य सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251 ए अभिधृति अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी............

मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा कुल 160 वर्ग मीटर भूमि नये रास्ता का अधिकार मंजूर किया जाता है एवं तहसीलदार, देसूरी की रिपोंट अनुसार इस कृषि भूमि की बाजार दर रूपयां– 17,77,900/– प्रति हैक्टर है।

देय प्रतिकर राशि :–

	डी.एल.सी. दर के अनुसार राशि रू.	डी.एल.सी. दर के अनुसार देय दुगुनी राशि
1120 वर्ग मीटर भू–भाग के लिए 177.79 रू. प्रति वर्ग मीटर की दर से।	**199124/–**	**398249/–**

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

इस प्रकार प्रार्थीगणों से कुल देय प्रतिकर राशि रूपये 398249 अक्षरे तीन लाख अट्ठानबे हजार दो सो उनपचास रूपयें वसूल देय होगें। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रतिकर राशि जमा कराने के पश्चात् उक्त भूमि खसरा नम्बर 1022 कुल रकबा 2.3400 हैक्टर किस्म बारानी भूमि में से 240 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा कुल 960 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 1025 कुल रकबा 0. 8900 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय भूमि में से 40 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा कुल 160 वर्ग मीटर भूमि हैक्टर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज की जावे। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता होगा। आदेश की पालना हेतू तहसीलदार, देसूरी को तहरीर जारी हो।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को सरे इज्लास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested